खाली हाथ रह गया नागपुर !

बजट में रेल-मुंबई के लिए बुलेट खो गई, किसी ने सराहा, कोई हुआ नाराज

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 संसद में पेश किया. उन्होंने कहा कि रेलवे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रावधान किए हैं. उन्होंने प्रस्तुत बजट को #ViksitBharatBudget का नाम देते हुए देश के बुनियादी ढांचे, विशेषकर रेल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक बताया. बजट में महाराष्ट्र में रेलवे के लिए 23,778 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया है. हालांकि इन तमाम बड़ी घोषणाओं के बीच नागपुर और विदर्भ को लेकर निराशा और नाराजगी है क्योंकि देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल नागपुर को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बाहर कर दिया गया है. इससे पहले नागपुर और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की घोषणाएं की जाती रही हैं. देश के भौगोलिक केंद्र और प्रमुख रेल जंक्शन होने के बावजूद नागपुर को बजट में कोई ठोस और प्रत्यक्ष सौगात नहीं मिलने से स्थानीय यात्रियों और रेल संगठनों में असंतोष है.

ये होंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

0 मुंबई- पुणे
0 पुणे-हैदराबाद
0 हैदराबाद-बेंगलुरु
0 हैदराबाद-चेन्नई
0 चेन्नई-बेंगलुरु
0 दिल्ली-वाराणसी
0 वाराणसी-सिलीगुड़ी

(इन कॉरिडोर को विकास के ग्रोथ कनेक्टर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यात्रियों की समय बचत के साथ-साथ माल परिवहन भी तेज होगा. हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे 15 शहरों में शामिल नागपुर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है.)

इन रूटों पर चाहिए सेमी हाई स्पीड ट्रेनें

नागपुर-मुंबई
नागपुर-दिल्ली
नागपुर-चेन्नई
नागपुर-बेंगलुरु
नागपुर-हावड़ा (कोलकाता)

(इनमें से किसी भी रूट पर एक भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं दी और न ही हाई स्पीड रेल कारिडोर)

विदर्भ भी नजरअंदाज

विदर्भ के नजरिये से देखें तो बजट में बड़े शहरों और कॉरिडोर पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि मध्य भारत और विदर्भ जैसे क्षेत्रों की जमीनी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया. कई सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया है कि जब नागपुर देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल जंक्शनों में से एक है, तो यहां से सीधी लंबी दूरी की ट्रेनों और नई सेवाओं की घोषणा क्यों नहीं की गई.

क्या बक्से में बंद हो गई नागपुर-मुंबई बुलेट

उल्लेखनीय है कि मुंबई-अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन के बाद घोषित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में नागपुर-मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन की भी घोषणा की गई थी. इसके बाद डीपीआर से लेकर एरियल सर्वे तक का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन बजट 2026-27 में वित्त मंत्री सीतारमण ने जिस तरह 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से नागपुर-मुंबई रूट का नाम ही गायब कर दिया, इससे संदेह हो रहा है कि क्या इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बक्से में बंद कर दिया गया है? उल्लेखनीय है कि अजनी स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना के समय में भी दावे किये जा रहे थे कि यहां बुलेट ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा. एक ही झटके में पूर्व घोषित नागपुर-मुंबई बुलेट ट्रेन योजना की पटरियां ही उखाड़ दी गईं.

दिशा के नेतृत्व में विदर्भ की 16 सदस्यीय टीम घोषित

नागपुर, खेल प्रतिनिधि. सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी एलीट ग्रुप 'बी' के आगामी मुकाबलों के लिए विदर्भ की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है. इस टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर दिशा कसाट को सौंपी गई है, जबकि मोना मेश्राम को उप कप्तान बनाया गया है. टूर्नामेंट का आयोजन 6 से 18 फरवरी तक बड़ौदा में किया जाएगा. वीसीए की महिला चयन समिति की शनिवार को हुई बैठक में टीम के साथ-साथ पांच स्टैंडबाय खिलाड़ियों का भी चयन किया गया. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी लतिका इनामदार और रिद्धिमा मराड़वार को सौंपी गई है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग में युवा व अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन देखने को मिला.

घोषित टीम- दिशा कसाट (कप्तान), मोना मेश्राम (उप कप्तान), लतिका इनामदार (विकेटकीपर), रिद्धिमा मराड़वार (विकेटकीपर), रिद्धि नाइक, शिवानी धरने, आर्या पोंगडे, आयुषी ठाकरे, कंचन नागवानी, नुपूर कोहाले, आरती बहनवाल, तृप्ति लोढ़े, गार्गी वानकर, कोमल झांझड़, आर्या गोहाने और तन्वी पवित्राकर.

बिना सुनवाई कार्रवाई को बताया गलत, हाई कोर्ट का फैसला

केंद्र प्रमुखों की पदोन्नति रद्द करने का आदेश खारिज

नगर संवाददाता

नागपुर. पदोन्नति के प्रस्ताव को रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए ऋग्वेद भंडारकर और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश एम.एस. जावलकर और न्यायाधीश नंदेश देशपांडे ने शिक्षा विभाग और जिला परिषद के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं की केंद्र प्रमुख के पद पर की गई पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया था. हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ बिना सुनवाई का अवसर दिए प्रतिकूल आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है.

शिकायत के आधार पर कार्रवाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर 30 जून, 2023 को नियमित केंद्र प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया था.

हालांकि एक शिकायत के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त, नागपुर विभाग और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ने सितंबर और अक्टूबर 2025 में इन पदोन्नतियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति रद्द करने से पहले संबंधित कर्मचारियों को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया था. सरकारी वकील ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि आदेश जारी करने से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शेखर घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि बिना सुनवाई के किसी भी अधिकारी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट ने 3 सितंबर, 2025 और 1 अक्टूबर, 2025 के विवादित आदेशों को रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करें. कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को 2 फरवरी, 2026 को अतिरिक्त आयुक्त, नागपुर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया, ताकि उनकी बात सुनी जा सके. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रदीप एस. क्षीरसागर ने पैरवी की.

ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर को लेकर असमंजस

एक कार्यरत, दूसरे के लिए चर्चा, पारशिवनी में जगह की तलाश

नागपुर. पेंच टाइगर रिजर्व के घायल और बीमार वन्यजीवों को तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए पारशिवनी तालुका में एक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने की चर्चा है. सांसद श्यामकुमार बर्वे और पारशिवनी पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष चेतन देशमुख ने इस केंद्र की मांग की थी लेकिन वन विभाग के निर्णय के अनुसार, राज्य के 11 सर्किलों में 11 ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर स्वीकृत किए गए हैं. इसमें से एक नागपुर सर्किल में कार्यरत है. ऐसे में सवाल उठता है कि एक और केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है.

मिली जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए 10 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी. वन विभाग ने संभावित स्थल का सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है. राजस्व विभाग से चर्चा के बाद केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर सर्कल के लिए वर्तमान में सेमिनरी हिल्स में एक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर कार्यरत है. यहां नागपुर, भंडारा, गोंदिया और वर्धा जिले के जंगली जानवरों का उपचार किया जाता है. यह केंद्र पेंच से मात्र 30 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है. इसी कारण पारशिवनी में ट्रांजिट सेंटर की आवश्यकता को लेकर असमंजस बना हुआ है.

ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की आवश्यकताएं

- जंगली जानवरों को समय पर उपचार मिलेगा.
- संक्रामक रोगों के प्रसार को रोका जा सकता है.
- आपातकालीन स्थितियों में वन्यजीवों की सुरक्षा.
- नवजात पशुओं की देखभाल और पालन-पोषण.
- पशुओं से मनुष्यों में रोग संचरण पर रोक.
- अत्याचारग्रस्त वन्यजीवों के लिए संरक्षण.
- पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मददगार.
- वृद्ध और विकलांग वन्यजीवों के लिए सुरक्षा.

गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर 'हाउसफुल'

गोरेवाड़ा स्थित बचाव केंद्र में जंगली जानवरों का इलाज और पालन-पोषण किया जाता है. हालांकि यहां क्षमता से अधिक वन्यजीव मौजूद हैं. वर्तमान में यहां 22 बाघ और 30 से 35 तेंदुए मौजूद हैं. हाल ही में वन विभाग ने पेंच में एक व्यक्ति पर हमला करने वाली बाघिन को पकड़ा था लेकिन जगह की कमी के कारण उसे गोरेवाड़ा नहीं लाया गया. उक्त बाघिन को सेमिनरी हिल्स स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भेज दिया गया. सूत्रों के अनुसार गोरेवाड़ा में जगह खाली होने पर उसे वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

विदर्भ में वन्यजीवों के उपचार केंद्र

- नागपुर सर्कल के सेमिनरी हिल्स में स्थित केंद्र कार्यरत.
- चंद्रपुर सर्कल में ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर शुरू.
- गड़चिरोली सर्कल में स्थल निर्धारित, निधि मंजूर.
- अमरावती सर्कल के परतवाड़ा में छोटे केंद्र शुरू.
- यवतमाल सर्कल के लिए योग्य स्थल की खोज.

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कालेज के प्राचार्य प्रो . शर्मा की 42 वर्षीय सेवाओं की स्मृति में अभिनंदन समारोह

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छिंदवाड़ा के प्राचार्य प्रो. वाय. के. शर्मा की उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न कॉलेजों में यशपूर्ण सेवाओं की स्मृति में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रो लक्ष्मीचंद ने कहा कि छात्र प्राध्यापकीय छवि के वाहक होते हैं, इस मामले में प्रो. वाय. के. शर्मा को उनके उच्च शिक्षा विभाग में उल्लेखनीय योगदानों के कारण कोई अफसोस नहीं है। प्रो. अमर सिंह ने प्रो. शर्मा के व्यक्तित्व को सहिष्णुता, अहमशून्यता और शिष्टता भरे आचरण सज्जन प्राध्यापक की मिसाल का एक ऐसा आइकॉन बताया, जिसने रा.से.यो. व एनसीसी के स्वयंसेवक से जीवन सफर की शुरूआत करके जिला संगठक, सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के पथ को प्रशस्त करते हुए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छिंदवाड़ा के पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्राचार्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। प्रो. साधना जैन ने प्रो. शर्मा को अकार्बनिक रसायन के दुर्लभ रसायन तत्वों की खोज करने वाले शोध विशेषज्ञ प्राध्यापक कहा। प्रो. सी. डी. राव ने कहा कि प्रो. शर्मा मुश्किल घड़ी में अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले प्राचार्य हैं। क्रीड़ाधिकारी प्रो. सुशील पटवा ने कहा कि प्रो. शर्मा सांस्थानिक ढांचागत विकास के लिए किसी भी हद तक मदद करने में सकुचाते नहीं हैं। प्रो. आर. पी. यादव ने प्रो. शर्मा जैसी शख्सियत को बहुआयामी प्रतिभा का खिलाड़ी बताया जो किसी भी संस्थान के लिए एक परिसंपत्ति होते हैं। प्रो. पी. एन. सनेसर ने प्रो. शर्मा के राष्ट्रीय सेवा योजना की श्रम सेवा और त्याग की पताका को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला बहुपुरस्कृत प्राध्यापक कहा। प्रो. शालिनी पाटिल ने प्रो. शर्मा को छात्रहित में रचनात्मक सामर्थ्य का, प्रो. कविता शर्मा ने संघर्षों के मोड़ पर शांतिपूर्ण कुशल नेतृत्व के धनी, देवेंद्र पवार ने निष्कलंक निर्विवाद कर्तव्यपरायणता का और जितेंद्र झरबड़े ने क्षमाशीलता का पर्याय बताया। गौतम पाटिल ने प्रो. शर्मा को जीवन प्रबंधन का गुरू, एवं प्राचार्य शशिकांत यादव ने प्रो. शर्मा को प्रशासनिक प्रबंध का एक बेहतरीन अंदाज वाला प्राध्यापक कहा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सभी विभागों, जिले के प्राचार्यों और क्रीड़ा विभाग की ओर से 50 किलो फूलों से बने हार से प्रो. शर्मा की चार दशक से अधिक वर्षों की सेवाओं को याद करते हुए अभिनंदन किया। सम्मान समारोह में प्रो. डी. डी. विश्वकर्मा, प्रो. जी. वी. ब्रह्मे, प्रो. निखिल कानूनगो, प्रो. अनिल जैन, प्रो. शैलेश बागड़े, प्रो. जे के डोंगरे, प्रो. अरुणा परतेती, प्रो. सुनीता दयाल, प्रो. मनोज माहोरे, प्रो. अर्चना चतुर्वेदी, प्रो. प्रीति देशमुख, प्रो. सुसन्ना लाल, लक्ष्मण ठाकरे एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।

सिटी का GPO क्षेत्र सर्वाधिक प्रदूषित

महाराष्ट्र व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़ों से खुलासा

नागपुर, कार्यालय प्रतिनिधि..नये वर्ष 2026 के जनवरी माह में नागपुर शहर के जीपीओ क्षेत्र में सबसे अधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है. महाराष्ट्र एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी आंकड़ों में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. पर्यावरण एवं जलवायु अध्ययन विशेषज्ञ प्रा. सुरेश चोपने ने इसकी जानकारी दी. अब तक विदर्भ में चंद्रपुर को सबसे प्रदूषित शहर माना जाता था, लेकिन पिछले पांच वर्षों से विदर्भ में नागपुर शहर सबसे अधिक प्रदूषित पाया जा रहा है.

GPO रहा सबसे अधिक प्रदूषित

जनवरी 2026 में जीपीओ क्षेत्र में 31 दिनों में से 30 दिन वायु प्रदूषण दर्ज किया गया. इनमें 25 दिन मध्यम प्रदूषण (मोडरेट) 9 दिन अधिक प्रदूषण (खराब) पाए गए. यहां 2.5 सूक्ष्म धूलकण 28 दिनों तक अधिक मात्रा में दर्ज हुए.

अन्य केंद्रों की स्थिति

महाल - दिसंबर माह में 31 में से 30 दिन प्रदूषित रहे. जनवरी में 5 दिन अधिक प्रदूषण, 25 दिन मध्यम प्रदूषण तथा केवल 1 दिन संतोषजनक रहा. यहां 2.5 का स्तर 30 दिनों तक अधिक दर्ज हुआ.

रामनगर - रामनगर क्षेत्र में जनवरी माह के सभी 31 दिन प्रदूषित पाए गए. इनमें 26 दिन प्रदूषित और 5 दिन अधिक प्रदूषित रहे. 2.5 का स्तर 28 दिनों तक अधिक रहा.

अंबाझरी - अंबाझरी क्षेत्र में 31 में से 30 दिन प्रदूषित दर्ज किए गए. इनमें 1 दिन संतोषजनक, 25 दिन प्रदूषित तथा 4 दिन अधिक प्रदूषित रहे. यहां भी पीएम 2.5 का स्तर 28 दिनों तक अधिक रहा.

AQI के अनुसार स्थिति

- 0 से 50 (अच्छा) श्रेणी में किसी भी केंद्र पर एक भी दिन दर्ज नहीं हुआ.
- 51 से 100 (समाधानकारक) श्रेणी में रामनगर को छोड़कर अन्य केंद्रों पर केवल एक-एक दिन रहा.
- 101 से 200 (मध्यम) श्रेणी में सभी केंद्रों पर लगभग 25 दिन दर्ज हुए.
- 201 से 300 (खराब) श्रेणी में 4 से 9 दिन रहे.
- 301 से 400 (अति खराब) तथा 401 से 500 (गंभीर) श्रेणी में कोई दिन दर्ज नहीं हुआ, जो राहत की बात मानी जा रही है.

PM (सूक्ष्म कण) 2.5 ने बढ़ाई चिंता

हवा गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आठ प्रमुख प्रदूषकों- पीएम 2.5, पीएम 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड के आधार पर तय किया जाता है. जनवरी माह में पीएम 10 केवल 5 दिनों तक दर्ज हुआ, जबकि पीएम 2.5 25 से अधिक दिनों तक दर्ज हुआ, जिससे वाहन प्रदूषण की भूमिका अधिक मानी जा रही है.

प्रदूषण के कारण

प्रा.चोपने के अनुसार ठंड के मौसम, धीमी हवाओं, चुनावी गतिविधियों, कार्यक्रमों में आतिशबाजी, बढ़ती वाहन संख्या, कचरा जलाने, बायोमास बर्निंग तथा औद्योगिक गतिविधियों के कारण जनवरी माह में प्रदूषण में वृद्धि हुई.

विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में प्रदूषण अधिक खतरनाक हो जाता है. प्रदूषण बढ़ने से दमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, हृदय रोग और मानसिक रोगों का खतरा बढ़ रहा है. जनवरी माह में बढ़े सूक्ष्म धूलकण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बताए गए हैं.

नियंत्रण के लिए जरूरी कदम

प्रदूषण नियंत्रण के लिए पौधारोपण बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, साइकिल व इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने, कचरा जलाने पर रोक लगाने तथा उद्योगों पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता बताई गई है. विशेषज्ञों के अनुसार प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए बिना प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है

ट्राईबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के वार्षिक कैलेंडर का आज हर्रई में विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ

नवभारत न्यूज

हर्रई, ट्राईबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह जी,पूर्व महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती कामिनी शाह जी,जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर नेताम जी,पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित गुप्ता जी,पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम डेहरिया जी, एवं अन्य जनप्रति निधि उपस्थित हुये,समस्त शिक्षकों ने विधायक जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने विकासखंड की समस्या एवं शिक्षकों की समस्याओं को सुना एवं हल किया एवं विधायक जी ने कहा कि मैं हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ा हूं,कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष रविशंकर विश्वकर्मा,प्रांतीय उपाध्यक्ष सजीर कादरी, विनोद यादव,गंगासाहू,द्वारका प्रसाद डेहरिया, संतराम नर्रे, नरेंद्र यादव, विश्वनाथ पांडे, चंद्र कुमार डेहरिया विकास डेहरिया, चारों विकासखंड के विकासखंड अध्यक्ष एवं सभी विकास खण्ड के शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा।

अवमानना मामले में जवाब के लिए अंतिम अवसर

अतिरिक्त मुख्य सचिव खरगे को फटकार

नागपुर. खनन पट्टे के नवीनीकरण को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता अल्ताफ अहमद के पक्ष में लीज डीड करने का आदेश प्रशासन को दिया था. इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी आपत्ति करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अब अवमानना की याचिका दायर की गई. इस पर मौका दिए जाने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया गया जिससे अब फटकार लगाते हुए न्यायाधीश अनिल किल्लोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने राजस्व और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास शंकर खरगे और अन्य के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों ने अदालत की अवमानना की है.

...तो व्यक्तिगत रूप से होना पड़ेगा उपस्थित

याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे अधि. रोहन देव ने अदालत को बताया कि इससे पहले कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद प्रतिवादियों ने न तो अब तक अपना जवाब दाखिल किया है और न ही अवमानना को दूर करने के लिए कोई गंभीर कदम उठाए हैं. जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 'अंतिम अवसर' प्रदान किया. अदालत ने प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगले 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता या अवमानना की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जाता तो प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा.

पहले भी जारी हुए कई आदेश

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (नंबर 5529/2024) दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के राजस्व और वन विभाग के सचिव, वर्धा के जिला कलेक्टर और जिला खनन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया था. याचिकाकर्ता ने अपने खनन पट्टे के नवीनीकरण की मांग की थी. इस रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस बात पर सहमति जताई कि यह मामला पूर्व में दिए गए 'अजीतकुमार अमोलकचंद जैन बनाम कलेक्टर, गोंदिया' और 'विलास प्रह्लादराव गवान्दे बनाम महाराष्ट्र राज्य' के फैसलों के समान है. पूर्व के इन फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था. अदालत ने जिला प्रशासन और खनन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे नवीनीकरण क्लॉज की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में लीज डीड का निष्पादन करें.

उर्स महोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

नवभारत न्यूज,

बड़चिचोली,1फरवरी,2 से 7 फरवरी तक ग्राम बड़चिचोली में आयोजित होने वाले उर्स शरीफ महोत्सव को लेकर रविवार को पुलिस चौकी में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई,जिसमें एसडीओपी,थाना प्रभारी,चौकी प्रभारी,दरबार कमेटी के पदाधिकारी तथा ग्रामीण प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम बड़ चिचोली की प्रसिद्ध फरीद वाटिका में आयोजित होने वाले सालाना उर्स महोत्सव 2 से आगामी 7 फरवरी तक मनाया जायेंगा,यह महोत्सव कौमी एकता की एक मिसाल बनी हुई,जिसमें सभी संप्रदाय के लोग शामिल होकर यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम साथ मनाते है ।

इस वर्ष भी यह कार्यक्रम शांति पूर्वक संपन्न हो इसलिए कार्यक्रम की रूपरेखा तथा शांति व्यवस्था को लेकर रविवार को पुलिस चौकी परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई,जिसमें एसडीओपी ब्रजेश भार्गव,थाना प्रभारी अजय मरकाम,पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम बघेल,सरपंच श्रीमती भारती शेंडे,उर्स दरबार कमेटी के अध्यक्ष पद्माकर बावने,उपाध्यक्ष शेख नूर मोहम्मद, सचिव दामोदर दलवी,प्रकाश कडबे,श्रीकांत महाजन,सुधाकर लाडके,संदीप गजभिए, शेख कुदरत, मुकेश पाटिल, आयुष पाठे,रामेश्वर चौधरी,अंकुश हजारे,शुभम पठाड़े ,जीवन उघडे,बेगम शाह,जयदेव मिश्रा, वसीम शेख, ओमकार जाधव,रमेश उइके,प्रफुल तातेकर, प्रधान आरक्षक धर्मेन्द्र उइके,आरक्षक रोहित आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे ।जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए ।उक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा कानुन तथा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था बनाने की बात कहीं ।

पुलिस चौकी बड़चिचोली
थाना पांढुर्णा जिला- पांढुर्णा म.प्र.

कार्यालय नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा
Municipal Corporation Chhindwara
Add.In tront ot shukla gound. guraiya road Tel-07162-222346 E-mail-commchhindwara@mp.gov.in
क्रं/6630/रा.शा.(लीज)/न.पा.नि./2026 छिंद. दिनांक 30/01/26

::-आम-सूचना आपत्ति-इश्तहार-::

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम स्वामित्व के इतवारी बाजार कॉम्पलेक्स स्थित दुकान क्रं .02 भूतल, क्षेत्रफल 103 वर्गफीट हैं,उक्त दुकान में आवेदकगण श्रीमति विमल पति स्व.श्री अजाबराव वानखेड़े, श्री नितिन पिता स्व. श्री अजाबराव वानखेड़े,श्री निलेश पिता स्व.श्री अजाब राववानखेड़े,श्री नितेश पिता स्व.श्रीअजाबराव वानखेड़े ,श्रीमति नम्रता पति श्री गुणवंतराव निम्बुलकर (पिता स्व.श्रीअजाबराव वानखेडे)द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन-पत्र, पृथक-पृथक शपथ पत्र सिजरा वंशावली दिनांक28.01.2026,गवाह के शपथ पत्र दिनांक 28.01.2026 एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हैं।दुकान पर वर्तमान में श्री अजाबराव पिता स्व. सम्पत राव वानखेड़े का नाम दर्ज है।जिनकी मृत्यु दिनांक 01/02/2014 को हो चुकी हैं। आवेदकगण शपथ पत्र सिजरावंशावली दिनांक 28.01.2026 एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर अपना नाम संयुक्त रूप से दर्ज करवाना चाहते हैं।उक्त दुकान की चतुर्थ सीमा निम्नानुसार हैं:-उत्तर में दुकान क्रं01,दक्षिण में दुकान क्रं03,पूर्व में दुकान क्रं 15 एवं पश्चिम में रोड़ हैं।

प्रस्तुत आवेदन-पत्र,शपथ पत्र सिजरावंशावली एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त दुकान का नामान्तरण आवेदकगण श्रीमति विमल पति स्व.श्री अजाबराव वानखेड़े,श्री नितिन पिता स्व.श्री अजाबराव वानखेड़े,श्री निलेश पिता स्व.श्री अजाबराव वानखेड़े, श्री नितेश पिता स्व.श्री अजाबराव वानखेड़े,श्रीमति नम्रता पति श्री गुणवंतराव निम्बुलकर (पिता स्व.श्री अजाबराव वानखेडे) के नाम पर किये जाने में यदि किसी व्यक्ति अथवा कोई हितबद्ध पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर मय दस्तावेजों सहित कार्यालय नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित में अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।समयावधि बाद किसी भी दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा(म.प्र.)